महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

ई–समाचार पत्र

पहल

मासिक – चालीसवां संस्करण (माह जुलाई, 2018)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. आनंदम अंतर्गत एक दिवसीय 'अल्प विराम' प्रशिक्षण कार्यक्रम
3. विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश
4. सम्प्रेषण की कला
5. गुड़ चिक्की की मिठास ने बदला स्व–सहायता समूह की बहिनों का जीवन
6. प्रधानमंत्री आवास योजना से सपना हुआ साकार
7. आर्थिक उन्नति की राह पर कपिल धारा
8. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन से सच हुआ सपना
9. नारी व बच्चे सशक्त तो राष्ट्र समृद्ध
10. संस्थान में ''जेन्डर'' विषय पर प्रशिक्षण का आयोजन

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्री इकबाल सिंह बैंस (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–**mgsirdpahal@gmail.com**
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870
Designed & Developed by J.K. Shrivastava and Ashish Dubey, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का उनतालीसवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2018 का पांचवां मासिक संस्करण है।

इस संस्करण संस्थान में **''आनंदम अंतर्गत ''अल्पविराम'' एक दिवसीय प्रशिक्षण''** आयोजन पर समाचार आलेख प्रस्तुत किया गया है वहीं विभिन्न सफलता की कहानियों पर आलेखों का प्रस्तुतिकरण किया गया है। **''गुड़ चिक्की की मिठास ने बदला स्व–सहायता समूह की बहिनों का जीवन''**, **''प्रधानमंत्री आवास योजना से सपना हुआ साकार''**, **''आर्थिक उन्नति की राह पर कपिल धारा''**, एवं **''मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन से सच हुआ सपना''** आदि सफलता की कहानियां आलेखों के रूप में प्रस्तुत की गई है।

साथ ही **''सम्प्रेषण कला''** एवं **''नारी व बच्चे सशक्त तो राष्ट्र समृद्ध''** विषयों पर अन्य आलेखों को इस संस्करण में शामिल किया गया है।

इसके अलावा अपर मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त महोदय द्वारा वीडियो कांफ्रेन्स दिनांक 31 मई, 2018 एवं 07 जून, 2018 में दिये गये निर्देश प्रस्तुत किये गये है।

साथ ही संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में '' **'जेन्डर' विषय पर प्रशिक्षण का आयोजन''** पर समाचार आलेख प्रस्तुत किया गया है।

मुझे पूरा भरोसा है कि 'पहल' का यह संस्करण रूचिकर एवं कई विषयों पर आपको नवीन जानकारियां प्रदान करेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

आनंदम अंतर्गत एक दिवसीय 'अल्प विराम' प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांक 30 जून 2018 को महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान –म.प्र., अधारताल, जबलपुर आनंदम विभाग द्वारा अल्प विराम एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें संस्थान के संचालक महोदय, उपसंचालक, प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों के प्राचार्य, समस्त संकाय सदस्य, कम्प्यूटर प्रोग्रामर को आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम के प्रशिक्षक के रूप में आनंदम विभाग द्वारा चयनित श्री हिमांशु ताम्रकार, भोपाल, श्री राजेन्द्र असाटी, कटनी एवं श्रीमती सीमा मिश्रा, जबलपुर एवं सत्र समन्वयक के रूप में श्री सुरेन्द्र प्रजापति, संकाय सदस्य द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण का शुभारंभ– सर्वप्रथम संचालक महोदय, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., अधारताल, जबलपुर द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष द्वीप प्रज्जवलन कर प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया।

सत्र में प्रतिभागियों की उपस्थिति– इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में संस्थान एवं समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों से उपस्थित हुये कुल 42 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम की रूपरेखा– इस संदर्भ में प्रशिक्षकों द्वारा बताया गया कि आनंद संस्थान के तत्वाधान में प्रदेश के 51 जिलों में स्थित विभिन्न शासकीय कार्यालयों में 'अल्प विराम' शीर्षक से एक पहल की जा रही है, जिसके माध्यम से शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विचारों में और अधिक सकारात्मकता प्रदान की जा सके।

कार्यशाला का उद्देश्य–

- आनंद एवं सकुशलता को मापने की पहचान करना तथा उन्हें परिभाषित करना।
- राज्य में आनंद का प्रसार बढ़ाने की दिशा में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के लिये दिशा–निर्देश तय करना।
- आनंद की अवधारणा का नियोजन नीति निर्धारण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया की मुख्य धारा में लाना।
- आनंद की अनुभुति के लिये एक्शनप्लॉन एवं गतिविधियों का निर्धारण।
- निरंतर अंतराल पर निर्धारित मापदण्डों पर राज्य के नागरिकों की मनःस्थिति का आंकलन करना।
- आनंद की स्थिति पर सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर

प्रकाशित करना।

- आनंद के प्रसार माध्यमों, उनके आंकलन के मापदण्डों में सुधार के लिये लगातार अनुसंधान करना।
- आनंद के विषय पर ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना।

प्रशिक्षण के अंतर्गत संचालित गतिविधियां– इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शासकीय सेवकों के जीवन में आनंद को कैसे अनुभव करायें एवं उस मार्ग पर सतत् चलने के लिए उन्हें कैसे प्रेरित करें, यही अपने मस्तिष्क में बिना किसी बोझ के सभी कार्यो का सम्पादन करना चाहिये। यही इस गतिविधि का उद्देश्य था।

इसी प्रकार अन्य गतिविधियां जैसे– लघु फिल्म, प्रेरक गीत, **आपकी जिन्दगी में आनंद क्या है? आनंद कब बढ़ता है? आनंद कब घटता है? आत्मश्रवण, ध्यान, हमारे साथियों से सीखने योग्य बातें** समस्त प्रतिभागियों की सहभागिता से संचालित की गयी। जिसमें समस्त प्रतिभागियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।

'अल्प विराम' का लक्ष्य है, जैसे कि कहा जाता है कि **''आनंद की अनुभूति का हम पीछा नहीं कर सकते, आनंद तो स्वयं अन्तर में रहता है''** इसी प्रकार के सत्र के आरंभ में **जीवन का बोझ क्या है?**

इस संबंध में प्रशिक्षण गतिविधि आयोजित की गई, जिसमें दो प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया तथा एक प्रतिभागी के सर पर पुस्तक को रखा गया एवं दूसरे प्रतिभागी को बिना पुस्तक रखे चलने के कहा गया। इस गतिविधि के पश्चात् समझाया गया कि जिस प्रतिभागी के सर पर पुस्तक थी उसे कितनी परेशारियों का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार हमें

प्रशिक्षण का समापन एवं आभार प्रदर्शन– एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में संचालक महोदय, द्वारा विषय की उपयोगिता एवं निरंतरता के महत्व को बताया गया एवं इस प्रकार के कार्यक्रम सतत् संचालित किये जाते रहे इस बात पर जोर दिया। इसके पश्चात् समस्त प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषय में फीडबैक दिया गया एवं अंत में समस्त प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त कर प्रशिक्षण का समापन किया गया।

सुरेन्द्र प्रजापति
संकाय सदस्य

विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 31.05.2018 को आयोजित वीडियों कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश

1. महात्मा गांधी नरेगा : –

1.1 महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लेबर नियोजन, प्रधानमंत्री आवास व अन्य प्रगतिरत कार्यां पर मस्टररोल जारी करने की समीक्षा में जिन जिलों मे विगत वर्ष माह मई की तुलना मे इस वर्ष कम मानव दिवस सृजित हुए है उनको आगामी सप्ताह में मस्टर रोल जारी करने तथा लेबर नियोजन बढाने के निर्देश दिए गए। जिले जिनकी प्रगति कम है :– सीधी, अनूपपुर, डिंडौरी, बालाघाट, झाबुआ, छिंदवाडा, देवास, छतरपुर, मंडला, राजगढ एवं धार।

1.2 जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर लंबित सामग्री भुगतान की समीक्षा में जनपद पंचायत बिरसा, जिला बालाघाट, गोहद व मेहगांव, जिला भिंड रामपुरनैकिन, जिला रीवा, खनियाधाना, जिला शिवपुरी, सरदारपुर, जिला धार, जतारा, जिला टीकमगढ, कैलारस, जिला मुरैना, मानपुर, जिला शहडोल, खालवा, जिला खंडवा, एवं मेहदवानी, जिला डिंडौरी मे सामग्री का भुगतान अत्याधिक लंबित है। जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों को अविलंब भुगतान करने के निर्देश दिए गए।

1.3 खेल मैदान, शांतिधाम एवं ग्रेवल रेड के 12 माह से अधिक लंबित कार्यां की समीक्षा मे जिन जिलों मे 12 माह से अधिक के लंबित कार्यो की संख्या अत्याधिक है, वह जिले छतरपुर, बालाघाट, रीवा, छिंदवाडा, गुना, शिवपुरी एवं धार । इन जिलों को निर्देशित किया गया है कि अपने स्तर पर विश्लेषण कर इन कार्यां को जल्द पूर्ण करे।

1.4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना द्वारा अवगत कराया गया कि वन क्षेत्र में खेल मैदान की अनुमति नही दी जा रही है। इस संबंध मे जिले से पूर्ण विवरण राज्य स्तर पर भेजने के निर्देश दिए गए।

1.5 समस्त जिलों को निर्देशित किया गया कि जिन ग्रम पंचयातों के ग्राम रोजगार सहायक को हडताल अवधि के दौरान कम प्रगति अथवा अन्य कारणों से सेवा से पृथक किया जाता है तो उक्त रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अनुमति राज्य स्तर से दी जाएगी।

2 प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रमीण

2.1 योजनांतर्गत जनपद पंचायतों मे पदस्थ ब्लाक समन्चयकों की समीक्षा की गई। अलीराजपुर के उदयगढ जनपद पंचायत (51 प्रतिशत प्रगति) द्वारा बताया गया कि ब्लाक में सेन्ट्रिंग की कमी होने के कारण प्रगति पर प्रभाव पड रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देशित किया गया है कि वे सेंन्ट्रिग के सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करें तथा कार्य मे गति लाए।

2.2 अशोक नगर जिले के मुगावली जनपद पंचायत के ब्लाक समन्वयक का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया। 10 दिवस मे यदि मुंगावली जनपद पंचायत के समन्वयक द्वारा संतोषजनक प्रगति नहीं दी

जाती है तो जिला पंचायत संबंधित ब्लाक समन्चयक की सेवा समाप्त की कार्यवाही करें। ईशागढ़ जनपद पंचायत मे ब्लाक समन्चयक की मांग की गईं।

2.3 हरदा जनपद पंचायत के ब्लाक समन्वयक को योजना का समुचित ज्ञान नहीं है, उन्हें राज्य स्तर से कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने का निर्देश संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रमीण को दिए गए।

2.4 सिवनी के लखनादौन के ब्लाक समन्वयक द्वारा जनपद पंचायत की प्रगति कम होने का कारण पानी की कमी बताया । सिवनी जिले को योजना के लिए पानी परिवहन करने के लिए आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव मुख्यालय स्तर पर प्रेषित किये जाने के लिए निर्देशित किया गयां।

2.5 सतना जिले के मझगंवा जनपद पंचायत की प्रगति (31 प्रतिशत) पूरे राज्य में सबसे कम है, मझगंवा के ब्लाक समन्चयक एवं जिले के परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे जून माह मे पूर्ण किये जाने वाले आवासों की संख्या का साप्ताहिक लक्ष्य 31/05/2018 तक प्रेषित किये जाने के लिये निर्देशित किया गयां।

2.6 झाबुआ जिले के रानापुर जनपद पंचायत मे प्रगति (59 प्रतिशत) में जून माह में पूर्ण किए जाने वाले आवासों की संख्या का साप्ताहिक लक्ष्य 31/05/2018 तक ब्लाक समन्वयक के हस्ताक्षर से प्रेषित करें तथ 02 जून 2018 तक अपूर्ण आवासों के हितग्राहियों की सूची भी प्रेषित करें।

2.7 वर्ष 2018–19 मे शेष रही समस्त स्वीकृतियां 3 दिवस मे पूर्ण करते हुए 80 प्रतिशत हितग्राहियों को द्वितीय किश्त जारी करना सुनिश्चित करे।

2.8 14 जिलों को प्रदत्त पीटीजी स्पेशल प्रोजेक्ट के अंतर्गत अन्य वर्ग में दिख रहे हितग्राहियों को सरेण्डर करते हुए जिले अपना लक्ष्य निर्धारित कर मुख्यालय को तत्काल प्रेषित करे। जिलों को आबंटित लक्ष्य जिलों द्ववारा वीडीयो कान्फ्रेसिंग में दी गई जानकारी अनुसार पुररीक्षित किया जा रहा हैं कृपया जनपदवार लक्ष्य जिला स्तर से आवास साफ्ट पर सेट करें, ताकि भविष्य में जिले को आवंटित लक्ष्य बाबत कोई विसंगति न रहे।

2.9 पुरानी आवास योजनाएं : भारत सरकार के निर्देशानुसार पुरानी आवास योजनाओं की Closure report प्रेषित करने हेतु प्रपत्र सभी जिलों को ई – मेल के माध्यम से प्रेषित किये गयें हैं। उक्त Closure report दिनांक 02.06.2018 तक अनिवार्य रूप से विकास आयुक्त कार्यालय को प्रेषित करें

3. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

3.1 अपर मुख्य सचिव ,द्वारा औपचारिक रूप से रीवा जिले को ओडीएफ घोषित किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी रीवा को बधाई दी गई।

3.2 कम प्रगति वाले 22 जिलों के 68 विकासखंडो मे शौचालय निर्माण की जिलावार/जनपदवार समीक्षा की गई एवं निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गयें–

3.2.1 अनूपपुर, भिंड, दमोह, पन्ना, सिंगरौली, टीकमगढ एवं उमरिया जिले की जनपद पंचायतो को अपनी प्रगति में वृद्वि किये जाने की आवश्यकता हैं। इसके लिये विशेष रूप से शौचालय निर्माण के साप्ताहिक लक्ष्य के अनुरूप् राज मिस्त्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए

3.2.2 शहडोल जिले द्वारा अप्रैल माह की तुलना में इस माह तीन गुना प्रगति की गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल द्वारा इस प्रगति हेत उठाए गए कदमों से सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतो को अवगत कराया।

3.2.3 छतरपुर जिले ने भी अपनी प्रगति में सुधार किया है, किन्तु उन्हे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रयास बढाने हेतु निर्देशित कियां।

3.3.4 68 विकासखंडो में एक –एक विकास खंड अधिकारी को अगामी चार माह हेतु एसबीएम के कार्यो में प्रगति के लिए पदस्थ किया गया हैं । इनको वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संबंधित जनपद पंचायत के खाते में अग्रिम राशि रूः 40000/– अंतरित कर दिया गया हैं। अतः इनके लिए वाहन की सुविधा सुनिश्चित की जावें।

3.3 सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायतों को निर्देश दिया गया कि वे मिशन से नियुक्त समन्वयकों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिये गये दायित्वों का सतत अनुश्रवण करें एव अपेक्षा अनुस्प कार्य न करने वाले समन्चयकों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करें। यह स्पष्ट किया गया है कि अक्षम संविदा कर्मचारियों की सेवाओं की निरंतरता से अभियान को कुप्रभावित न होने दिया जाएं।

3.4 स्वच्छ एमपी पोर्टलपर 68 विकासखंडो मे पदस्थ किए गए विकास खंड अधिकारी तथा स्वच्छाग्राहियों के द्वारा किए जा रहें है। इनके पंजीकरण का कार्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अपने ऑनलाइन पासवर्ड से पूर्ण करावें।

4 पंचायतराजः–

4.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रगतिरत अप्रारंभ एवं गबन के कार्या की एजेंसीवार तथा कार्यवार समीक्षा स्वयं करें तथा अदयतन जानकारी पंचायत राज संचालनालय को भेजे।

4.2 अद्यतन प्रगतिरत कार्या को तत्काल पूर्ण करावें तथा अप्रारंभ कार्या को निरस्त करते हुए राशि पंचायत राज संचालनालय को वापस भेजें।

4.3 गबन के कार्यों की राशि समय– सीमा सुनिश्चित कर संबंधित एंजेसी/व्यक्ति से वसूली करें एवं इसकी राशि तथा जानकारी पंचायत राज संचालनालय को भेजें।

4.4 जिला पंचायत सिवनी द्वारा निर्माण कार्यो में पानी की कमी की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए पानी परिवहन की अनुमति का प्रस्ताव प्राक्कलन सहित कलेक्टर के माध्यम से भेजने हेतु निर्देशित किया गया।

5 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायतो ,द्वारा उठाए गए मुददे :–

जिले का नाम	मुद्दा	निराकरण
सिवनी	जनपद पंचायत छपारा मे सामग्री भुगतान किया जा चुका है, किन्तु उक्त भुगतान लंबित प्रदर्शित हो रहा है।	इस संबंध मे उक्त बिलो की जानकारी मनरेगा परिषद् को भेजने के निर्देश दिए गए।
सिवनी	जिला समन्वयक, एस.बी.एम. एम द्वारा सेवा समाप्ति के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किये जाने के कारण उनके जिलें मे एक जिला समन्वयक उपलब्ध करायो जाए।	इस संबंध में राज्य कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे स्थगन आदेश को समाप्त कराने हेतु तत्काल समुचित कार्यवाही करें। तथा सिवनी में किसी अन्य जिले से जिला समन्वयक उपलब्ध कराया जाएं
सीधी	पंचायत सचिवों की सुनवाई अपर संभागीय आयुक्त, रीवा द्वारा किये जाने का उल्लेख किया।	संचालक पंचायतराज इस संबंध मे संभाग आयुक्त रीवा को प्रावधान से अवगत करायेगें
झाबुआ	अधिवक्ताओं की फीस की राशि प्राप्त न होने का उल्लेख किया गया ।	संचालक पंचायत प्रकरण का निराकरण करेंगें
देवास	आंगनवाडी केन्द्रो के निर्माण में पंचायत की अंश राशि के प्राप्त न होने का उल्लेख किया।	संचालक, पंचायतराज शीध्र कोषालय से भुगतान की समस्या का निराकरण कराएंगे।

विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 07.06.2018 को आयोजित वीडियों कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश

1. महात्मा गांधी नरेगा–

1.1 महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लेबर नियोजन में 05 worst performing जिलों बुरहानपुर, अलीराजपुर, हरदा, गुना एवं खरगोन हैं। समस्त जिलों को निर्देशित किया गया है कि आगामी सप्ताह में अपना लेबर नियोजन बढ़ाएं।

1.2 PMAY-G कार्यो को छोड़कर नीवन कार्य प्रारंभ करने की प्रगति सबसे कम हरदा, होशंगाबाद, मुरैना, बालाघाट, खरगोन, धार, देवास, जबलपुर, विदिशा, मण्डला, कटनी, पन्ना, एवं मंदसौर में है। समस्त जिलों को निर्देशित किया गया कि PMAY-G के अतिरिक्त नवीन कार्य भी पर्याप्त संख्या में अभियान के रूप में खोले जाएं।

1.3 जिलों की अनुमोदित वार्षिक लेबर बजट की पूर्ति के लिए माहवार लेबर प्रोजेक्शनस के अनुसार लिए जाने वाले कार्यो तथा मजदूरों के नियोजन की कार्ययोजना के लिए गूगल शीट दी जावेगी जिसे update करें।

1.4 विगत वर्षो के लंबित मजदूरी एवं सामाजिक भुगतान के संबंध में आगामी माह में प्रस्तावित समाधान ऑनलाइन में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समीक्षा की जाएगी। सभी जिले इस संबंध में समय रहते आवश्यक तैयारी कर लें।

1.5 सभी जिले यह सुनिश्चित करें कि पुराने वर्षो के समस्त लंबित भुगतान का निराकरण समाधान ऑनलाइन समीक्षा से पूर्व कर लिया जावे। यदि किसी कार्य में सीसी जारी कर दी गई हो परन्तु उन कार्यो पर भुगतान किया जाना है तो उक्त कार्यो को प्रगतिरत करने के लिए जानकारी नरेगा मुख्यालय में एक सप्ताह के अंदर भेजना सुनिश्चित करें।

1.6 यदि आधार बैंक/पोस्ट ऑफिस खातों में त्रुटि अथवा खाते बंद होने के कारण भुगतान लंबित है तो आगामी 15 दिवस में खातों को दुरूस्त कर भुगतान का एफटीओ जारी किया जाए।

2. मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना (संबल) 2018 –

प्रमुख सचिव, श्रम व्हीसी में उपस्थित थे। निम्न निर्देश दिए गए:–

2.1 दिनांक 13 जून 2018 को समस्त जनपद मुख्यालयों पर हितग्राहियों को चेक से लाभ का वितरण किया जाना है।

2.2 समस्त पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को पंजीयन का प्रमाण–पत्र/स्मार्ट कार्ड का वितरण किया जाना है। जिन जिलों को स्मार्ट कार्ड मुद्रित होकर प्राप्त नहीं हो पायेंगे उन जिलों में पंजीयन प्रमाण–पत्र का वितरण किया जावें।

2.3 जिन नगर पंचायतों के मुख्यालय पर जनपद पंचायत भी है वहां यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से नगर तथा जनपद पंचायत समय पूर्वान्ह 11:00 बजे आयोजित किया जावे।

2.4 समस्त जिले अपने पंजीकृत श्रमिकों का परिवार में घटित दुर्घटना, मृत्यु आदि लाभ के लिए श्रम सेवा पोर्टल पर हित लाभ आवेदन पंजीकृत कर स्वीकृति आदेश दिनांक 9 जून 2018 तक जारी कर दें।

2.5 जिन हितग्राहियों को हित लाभ दिये जाने का पंजीयन पोर्टल पर स्वीकृत किया गया हैं उसके अनुरूप हितग्राहियों के चेक तैयार करने की कार्यवाही बिना राशि अंतरण की प्रतीक्षा के प्रारंभ कर दी जाए।

2.6 प्रत्येक जिले में स्वीकृति के अनुरूप राशि नोडल खाते में श्रम विभाग द्वारा प्रेषित की जावे।

2.7 स्मार्ट कार्ड प्रिटिंग में जारीकर्ता कार्यालय का नाम मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका अंकित किया जावे।

2.8 श्रम विभाग द्वारा जारी न्यूनतम गुणवत्ता के कार्ड से बेहतर गुणवत्ता का कार्ड यदि जिला प्रशासन द्वारा प्रिंट कराया जाता है तो कार्ड/ब्रोशर इत्यादि पर होने वाला व्यय पूर्व निर्देशों के अनुसार रू. 10/– की सीमा के अंतर्गत ही होना चाहिए।

2.9 जिला विदिशा में पदाभिहित अधिकारियों के द्वारा स्वीकृति उपरान्त ई–पेमेंट आर्डर जारी किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या कम प्रदर्शित हो रही है। अतः ई–पेमेंट मॉड्यूल दिनांक 13 जून 2018 तक के लिए disable किया जा रहा है।

2.10 समस्त डाटा, स्मार्ट कार्ड में हिंदी में ही मुद्रित कराया जाए। जिस किसी जिले में यह हिंदी में प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो वे जिले अवगत कराएं ताकि संशोधन जारी कर सकें।

2.11 प्रकरणों को स्वीकृत करते समय पूर्ण सावधानी बरतें जिससे गलत भुगतान की स्थिति निर्मित न हो।

2.12 दिनांक 13 जून को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में निम्न सुविधायें/लाभ हितग्राहियों को दिया जावेः–

(1) अन्त्येष्टि सहायता

(2) दुर्घटना एवं मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि का लाभ

(3) मातृत्व परीक्षण तथा प्रसूति पर लाभ

(4) पट्टा वितरण

(5) अन्य लाभ जो देना उपयुक्त पाएं।

2.13 दिनांक 13 जून 2018 को माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यक्रम को सभी जनपद मुख्यालय में सीधे प्रसारण के लिए एलईडी स्क्रीन आदि की व्यवस्था की जाएं व ग्राम पंचायतों में टी.वी पर इस कार्यक्रम को दिखाया जावे।

2.14 दिनांक 13 जून 2018 के जनपद स्तर के कार्यक्रम के लिए स्मार्ट कार्ड के लिए आबंटित 10/– रू. प्रति कार्ड से बचत की राशि में से प्रत्येक कार्यक्रम पर 15000/– रू. तक का व्यय कर सकते है। इसके अतिरिक्त जनपद के एकल खाते से 10000/– रू. का अतिरिक्त व्यय भी कर सकते हैं। इसके निर्देश संचालक पंचायत जारी कर रहे हैं।

3. स्वच्छ भारत मिशन –

माह जून के प्रथम सप्ताह में कम प्रगति वाले 15 विकास खण्डों में शौचालय निर्माण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिए गएः–

3.1 आगामी व्हीसी के पूर्व सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, विकासखण्ड अधिकारी एवं ब्लॉक समन्वयक टीम में रूप में शौचालय निर्माण के साप्ताहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्देशों के पालन कर

परिणाम दें। साथ ही लक्ष्य अनुरूप राज मिस्त्रियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए।

3.2 ग्राम पंचायतों को एजेन्सी बनाकर पात्र हितग्राहियों की मैंपिंग, शौचालय निर्माण के लिये ऑनलाईन डिमाण्ड एवं उनके सत्यापन का अंतर अधिक होने से भी वांछित प्रगति नहीं हो पा रही हैं। सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इसका अनुश्रवण करें।

3.3 लखनादौन एवं सिवनी में पदस्थ विशेष विकासखण्ड अधिकारियों द्वारा ओडीएफ के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। सभी विकासखण्ड अधिकारी इसी प्रकार अपने विकासखण्ड को ओडीएफ करने के लिए कार्य करेंगे।

3.4 सतना जिले के नागौद तथा सागर जिले के मालथौन एवं खुरई के विकासखण्ड अधिकारी द्वारा कम प्रगति के कारणों एवं उसमें सुधार की रणनीति स्पष्ट न किये जाने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की गई। राज्य कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उनकी दैनिक प्रगति अपर मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत करें।

राज्य कार्यक्रम अधिकारी निम्नलिखित बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें:–

(क) जनपदवार शेष शौचालयों की संख्या को अद्यतन कर आगामी व्हीसी से पूर्व अवगत करावें।

(ख) शिवपुरी जिले के खनियाधाना एवं सिंगरौली जिले के चितरंगी विकासखण्ड में रिक्त ब्लॉक समन्वयक के स्थान पर ओडीएफ जिले से ब्लॉक समन्वयक को ब्लॉक ओडीएफ होने तक पदस्थ किया जाए। सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उनके जिले में ब्लॉक समन्वयक आवश्यकता से मुख्यालय को अवगत कराएं।

(ग) राज्य स्तर निर्मित कंट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक एवं ई–मेल आईडी से सभी 68 विकासखण्ड अधिकारियों को अवगत कराया जाए जिससे यहां पदस्थ विकासखण्ड अधिकारी अपनी समस्याओं से राज्य मुख्यालय को अवगत करा सकें ताकि उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा सके।

(घ) जिन ओडीएफ जिलों/जनपदों के मोटिवेटर आबंटित जिलों में नहीं पहुंचे है उन जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सूचित करें और आगामी व्हीसी से पूर्व प्रेरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

4. प्रधानमंत्री आवास योजना–

4.1 जनपद पंचायत भिण्ड जिला भिण्ड के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 का लक्ष्यच पूर्ण कर लिया गया है जो प्रदेश की एकमात्र जनपद पंचायत है।

4.2 आगामी वीडियों कान्फ्रेस में विकास खण्डवार समीक्षा की जावेगी जिसमें सभी विकासखण्ड समन्वयक पीएमएवाय को उपस्थित रहना है।

पुरानी आवास योजनाएः–

सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अपूर्ण आवास जो अप्रारंभ एवं नींव स्तर तक निर्मित हैं, की जानकारी शीघ्र भेजें।

सम्प्रेषण की कला

प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, समाज में रहता है तथा एक दूसरे पर निर्भर है, अतः सम्प्रेषण की आवश्यकता निरंतर होती है। कल्पना करे कि परिवार या समाज में कोई किसी से बातचीत न करे तो वह स्थिति कैसी होगी। इस प्रकार सम्प्रेषण दिनचर्या का महत्वपूर्ण पहलू है। सामान्यतः हम संचार एवं सम्प्रेषण शब्द को एक दूसरे के स्थान पर उपयोग में लाते है, जिसके कारण हमारे बहुत से कार्य का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता । सम्प्रेषण एवं संचार के बीच अन्तर होता हैं जो संचारकर्ता के बातचीत के तरीके पर निर्भर करता है।संचार में आदेशों का पालन कराया जा सकता हैं जानकारी दे सकते हैं। वही सम्प्रेषण में क्रियान्वयन के साथ साथ व्यवहार में परिर्वतन भी हो सकता हैं।पहले हम संचार और सम्प्रेषण में अन्तर पर बात कर लें फिर सम्प्रेषण की कला पर बात करेगें ।

सम्प्रेषण एवं संचार में अन्तर

संचार अर्थात अपनी बात दूसरों को कहना। अपने विचार, भावनाएं, जानकारी दूसरों को व्यक्त करना। संचार में केवल अपनी बात कही जाती है, किन्तु इस बात की सुनिश्चिता नहीं होती कि सामने वाले (संदेश प्राप्तकर्ता) ने सुना या पढ़ा या समझा की नही। इस प्रकार सामान्यतः यह एक तरफा होता है जैसे आदेश देना या सिर्फ दिशा निर्देश को पढना ,समाचार, अखबार, पंपलेट, रेडियों विज्ञापन, टीवी विज्ञापन आदि। सम्प्रेषण दो तरफा होता है। सम्प्रेषण में संचारकर्ता और प्राप्त करता के मध्य दोनों दिशा में संचार होता है। इसमें संचारकर्ता – संदेश अथवा जानकारी द्वारा इस बात की पुष्टि करता हैं, कि प्राप्तकर्ता ने बात सुनी और समझी अथवा नही। इसके लिए वह फीडबैक भी प्राप्त करता है।

संप्रेशण क्या है

- ✓ यह कहने व सुनने की सतत् की जाने वाली प्रक्रिया है।
- ✓ अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है।
- ✓ जानकारी व आपसी समझ का आदान प्रदान ही सम्प्रेषण है।
- ✓ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से किसी ब्यक्ति की उपरोक्त प्रकार अभिव्यक्ति ही सम्प्रेषण है।

✓ सम्प्रेषण अर्थात दो या दो से अधिक लोगो के बीच अर्थपूर्ण बातचीत, जिसमें बोलना सुनना व हावभाव शामिल हैं।

सम्प्रेषण की प्रक्रिया वह द्विपक्षीय प्रक्रिया है, जिसके द्वारा प्रेषक अपना संदेश प्राप्तकर्ता को भेजता है । प्राप्तकर्ता के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया जब प्रेषक तक पहुँचती है , तब सम्पूर्ण व सफल सम्प्रेषण होता है।

सम्प्रेषण की प्रक्रिया में निम्न लिखित मुख्य तत्व शामिल होते है –

- ☞ सम्प्रेषणकर्ता
- ☞ निश्चित उद्देश्य के लिए सम्प्रेषित किए जाने वाला संदेश/जानकारी/कौशल
- ☞ संचार हेतु स्पष्ट माध्यम
- ☞ सम्प्रेषण के लिए उपयुक्त समय तथा माहौल
- ☞ सम्प्रेषण को ग्रहण करने वाला व्यक्ति व समुदाय

संप्रेषण प्रक्रिया में निम्न 5 बातें सुनिश्चित की जाती है –

1. कौन संचार करता है ?
2. क्या कहना चाहता है ?
3. किस माध्यम से कहता है ?
4. किसे (प्राप्तकर्ता) संचार किया जाता है ?
5. संचार का प्रभाव क्या हुआ ?

सम्प्रेषण द्वारा हमारा उद्देश्य व्यक्ति/परिवार का व्यवहार परिवर्तन या वांछित प्रमाण प्राप्त करना है। इसलिए हम जब भी किसी संदेश का सम्प्रेषण –एकल या समूह में करें हमें इन पॉचों बिंदुओं पर ध्यान देते हुए योजना बनाकर बात करना चाहिए। यदि वांछित परिणाम प्राप्त ना हो तो लगातार प्रयास करते हुए योजना बनाकर कार्य करना चाहिए।

सम्प्रेषण प्रकिया में संदेश

सम्प्रेषण की प्रक्रिया में दिया जाने वाला ''संदेश'' अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।संदेश देते या चुनते समय निम्न बातो को शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए –

- संदेश उपयोगी व सरल हो।
- संदेश स्पष्ट व साफ हो।
- संदेश प्रेरणा देने वाला हो, अंततः व्यवहार परिवर्तन करे।
- संदेश व्यक्ति तक पहुँचाने में अधिक से अधिक साधनो का उपयोग हो।
- संदेश प्रचलित सामाजिक नियमों के अनुरूप हो तथा प्रचलित विश्वास/व्यवहारों के विरूद्ध न हो।
- संदेश समुदाय द्वारा महसूस की जा रही आवश्यकता के अनुरूप हो।
- संदेश से जानकारी और कौशल में वृद्धि हो।
- संदेश विशिष्ट व वैज्ञानिक तौर पर खरे हों।
- संदेश ध्यान आकर्षित कर सके, लोगों को सहमत कर सके।
- अलग अलग लक्ष्य समूहों हेतु संदेश अलग–अलग हों।
- एक ही समय में ढेर सारे संदेश ना हों।

सम्प्रेषण हेतु माध्यम व सामग्री

संदेश देते वक्त यदि सामाग्री का उपयोग किया जाए तो संदेश और प्रभावी हो जाता है तथा सम्प्रेषण प्रक्रिया सरल हो जाती है। सम्प्रेषण प्रक्रिया में निम्न प्रकार की सामाग्री उपयोग कर सकते हैं –

पम्पलेट या पुस्तिका , पोस्टर , चार्ट ,फिल्प बुक फ्लेश कार्ड फिल्प चार्ट स्लाइड फिल्म रेडियो ड्रामा कैसेट कठपुतली लोक नृत्य लोक गीत कैलेण्डर स्थानीय उपयुक्त (विषय आधारित) सामग्री

प्रभावी सम्प्रेषण

संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए सम्प्रेषण में निम्न बातें होनी चाहिए –

- वह ध्यान आकर्षित करने वाला हो।
- दिल एवं दिमाग दोनो पर प्रभाव डाले।
- संदेश को स्पष्ट करता हो।
- लाभ बताने वाला हो।
- विश्वास पैदा करें।
- कार्य करने के लिए आमंत्रित/ उत्साहित करें।
- निरन्तरता बनाएं रखने वाला हो

सम्प्रेषण में बाधाएं–

सम्प्रेषण की योजना बनाते समय प्रमुख बाधाओं का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सम्प्रेषण में बाधाएं मौजूद हो तो प्रभावी नही होता । सम्प्रेषण में सामान्यतः निम्नलिखित बाधाएँ हो सकती है –

1. संचार योजना का कमजोर या उपयुक्त न होना या बिना योजना के सम्प्रेषण करना।
2. अपर्याप्त जानकारी या ज्ञान देने वाले संदेश/जानकारी का न होना।
3. अलग अलग धारणाएं व नजरिया होना।
4. बहुत कम या बहुत ज्यादा जानकारी देना।
5. समुदाय के ज्ञान, दृष्टिकोण व व्यवहार संबंधी जानकारियों से अनभिज्ञ होना।
6. सांस्कृतिक अंतरों को समझने में असफल होना।
7. संचारकर्ता में संचार कौशल का अभाव होना। ,
8. अपनी बातों को प्रस्तुत करने का तरीका ।
9. सही माध्यम का चयन नहीं करना।
10. मौजूद विश्वास और व्यवहार के विपरित संदेश का चयन करना।
11. अपर्यापत संचार समाग्री होना।
12. उपयुक्त भाषा का उपयोग नहीं करना। कठिन शब्दों का प्रयोग, साफ साफ न बोलना।
13. शब्दों व हावभाव का तालमेल ना होना। कई प्रकार के बाहरी शोर का मौजूद होना।
14. संचार (बातचीत) के बाद व्यक्ति/ परिवार/समूह के विचार नहीं जानना।
15. संचार (बातचीत) में तकनीकी अस्पष्टता या गलतियॉ होना।
16. संचार के पश्चात् होने वाले प्रभाव को जानने का प्रयास कर सतत् संचार प्रक्रिया को नहीं अपनाना।
17. सुनने की प्रक्रिया न करना या फीडबैक न लेना।

सम्प्रेषणकर्ता के कौशल

1. विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, जिससे दिए जाने वाले संदेश, जानकरी या कौशल स्पष्ट वैज्ञानिक एवं सरल हो।
2. स्थानीय भाषा की पर्याप्त जानकरी एवं उस पर नियंत्रण होना चाहिए। जिससे बातचीत में स्थानीय शब्दों के उपयोग से सम्प्रेषण को प्रभावी बनाया जा सकें।
3. हितग्राही/परिवार /समुदाय पर स्पष्ट एवं पूरी समझ होनी चाहिए।
4. सहभागी वातावरण निर्माण करने की क्षमता होनी चाहिए।
5. लोगों को बातचीत के लिए प्रेरित कर सके।
6. सुनने के लिए धैर्य और क्षमता होनी चाहिए।
7. स्पश्ट शब्दों का चयन व आवश्यक उतार चढ़ाव की तीव्रता का ध्यान रखें।
8. प्रभावी शारिरिक भाषा होनी चाहिए। निष्कर्ष निकाल कर समझाने की क्षमता होनी चाहिए।
9. हितग्राही/परिवार /समुदाय के दृश्टिकोण/ बातों का सम्मान करने का कौशल हो।
10. उपयुक्त संचार सामाग्री का चयन और उपयोग करने की क्षमता।

श्रीमती वंदना तिवारी
संकाय सदस्य

सफलता की कहानी
गुड़ चिक्की की मिठास ने बदला स्व–सहायता समूह की बहिनों का जीवन

प्रदेश के बैतूल जिले के विकासखण्ड घोड़ाडोंगरी अंतर्गत ग्राम पंचायत पांढरा के चोरपांढरा ग्राम में मध्यप्रदेश दीनदयाय अन्त्योदय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत ग्राम के गरीब व अतिगरीब महिलाओं का आजीविका को सुदृढ करने हेतु स्व सहायता समूह का निर्माण किया गया। जिसका नाम ''सरस्वती महिला आजीविका स्व सहायता समूह'' रखा गया।

समूह बनाने के बाद सदस्यों ने अपनी छोटी–छोटी बचत करना शुरू कर दी। बचत राशि को वे आपस में छोटे–छोटे ऋण द्वारा लेनदेन कर अपनी जरुरतों को पूरा करने की कोशिश करने लगीं। समूह सदस्यों को ऐसा लगा कि, उनकी जरूरतें ज्यादा हैं और समूह बचत से मिलने वाली ऋण की राशि कम। यह बात उन्होनें आजीविका मिशन के पीएफटी के साथियों को बताई। आजीविका मिशन के साथियों के सहयोग से आजीविका मिशन द्वारा ''सरस्वती महिला आजीविका स्व सहायता समूह'' को रिवाल्विंग फण्ड (चक्रिय राशि) 12000/ उपलब्ध कराई गई। अब समूह सदस्यों की बचत और रिवाल्विगं फण्ड दोनों मिला कर समूह की राशि बढ़ गई। जिससे समूह बैठक में आपस में फैसला लेकर अपनी जरूरतमंद सदस्य को ऋण उपलब्ध कराने लगा।

इस तरह समूह धीरे–धीरे मिशन के 11 सूत्रों का पालन करते हुए सफलता पूर्वक आगे बढ़ता गया। इसी बीच शासन की महत्वाकांक्षी योजना ''मध्याहन भोजन कार्यक्रम'' के अन्तर्गत विकासखण्ड घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल में स्व सहायता समूह को गुड़ चिक्की निर्माण कर वितरण करने हेतु मार्गदर्शन जिला आजीविका मिशन इकाई मार्गदर्शन मिला। समूह सदस्यों ने यह आर्थिक गतिविधि प्रारंभ करने का विचार किया। समूह सदस्यों को गुड़ चिक्की बनाने की गतिविधि में दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला आजीविका मिशन के सहयोग से समूह की तीन सदस्य को प्रदेश के जिला–शिवपूरी में स्थित **सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र, पोहरी** में पॉच दिन के प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। वहां से गुड़ चिक्की निर्माण की विस्तृत विधि सीख कर आने के बाद ग्राम

चोरपांढरा में आजीविका चिक्की निर्माण इकाई का शुभारंभ किया गया। जिसके लिये राज्य कार्यालय से सर्वप्रथम राशि रू. 2,55,744/–चिक्की निर्माण हेतु कच्चा माल खरीदने के लिये तथा चिक्की निर्माण इकाई प्रारंभ करने के लिये आवश्यक सामग्री हेतु कुल 30,000/–रू. इस प्रकार प्रारंभिक तौर पर समूह को कुल. 2,85,744/– की राशि उपलब्ध करायी गई।

समूह की अध्यक्ष श्रीमती बिलसिया दीदी एवं सचिव श्रीमती देवी दीदी ने अपनी सूझबुझ दिखाते हुये, गतिविधी को धीरे–धीरे विस्तृत रुप दिया। समूह सदस्यों के लिए वह दिन बहुत उत्साह और खुशी का था जब, गुड चिक्की वितरण का समूह का अनुबंध जनपद शिक्षा केन्द्र व जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ किया गया। समूह सदस्यों यह लग रहा था कि अब उन्हे अपने बनाने जाने वाले उत्पाद को कही और बेचने की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। समूह सदस्यों को जब यह पता चला कि, उनके उत्पाद (चिक्की) को शासन द्वारा खरीद कर बच्चों के बीच प्राथमिक शाला स्कूल मे प्रति मंगलवार, गुरुवार, और शनिवार बांटा जायेगा तो उनके मन में खुशी फूली नहीं समा रहीं थी। अब तो समूह की सभी सदस्य मिल कर गुड़ चिक्की बनाने लगीं और मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयों में अपने उत्पाद को वितरित करने लगीं।

अनुबंध अनुसार समूह को 90/–रू. प्रति किलो के हिसाब से समूह को भुगतान जनपद शिक्षा केन्द्र के ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर घोड़ाडोंगरी द्वारा किया जावेगा।

समूह के सभी सदस्य अपनी पूरी लगन और मेहनत से गुड़ चिक्की बनाने लग गये हैं। समूह द्वारा बनाई जाने वाली गुड़ चिक्की की मांग बढ़ने लगी है। अब समूह को संपूर्ण विकासखण्ड घोड़ाडोंगरी में चिन्हित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की दर्ज संख्या के हिसाब से 41 क्विंटल चिक्की प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करना है। इसके अलावा खुले बाजार में भी चिक्की की मांग के अनुसार चिक्की का बिक्रय किया जा रहा है।

गुड़ चिक्की की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुये, पास के ही ग्राम–धरमपुर में एक अन्य चिक्की निर्माण इकाई का शुभारंभ राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमति गंगा उईके की उपस्थिति में किया गया। इस ईकाई को ''जय मां काली महिला आजीविका स्व सहायता समूह'' द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस गतिविधि को प्राप्त करने उपरान्त संपूर्ण समूह में उत्साह का माहौल देखने को मिला। अब, दो स्व सहायता समूह की 24 महिलाऐं चिक्की निर्माण का कार्य कर खुश हैं। जिनसे उन्हें शुरुआत में लगभग 5000/–रू. से 6000/–रू. तक की मासिक आमदानी प्राप्त हो रही है। इस गतिविधि को सफलता पूर्वक संचालन करने हेतु समूह की महिलाओं का कहना है कि आजीविका मिशन के माध्यम से स्व–सहायता समूह में जुडकर ही यह कार्य संभव हुआ।

डॉ. संजय कुमार राजपूत,
संकाय सदस्य

प्रधानमंत्री आवास योजना से सपना हुआ साकार

सजनबाई बाबूलाल जाति भील–ग्राम कवट्याझीरी जनपद पंचायत महू जिला इन्दौर वर्ष 2016–17 में प्रंधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत किया गया, जिसमें 1.20 रू. योजना से एवं 15300/– मनरेगा योजना से मजदूरी के रूप में प्राप्त हुऐ । जिससे आज उनका पक्का मकान बनकर तैयार है । प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृति से पहले इनका SECC सर्वे में एक कमरा कच्चे में नाम होने से पात्रता में आने से योजना में स्वकृति हुई इनके परिवार में 5 सदस्य है मकान बनने से पूर्व परिवार के सदस्यों को बारिश व रात को सोने में बहुत दिक्कत होती थी जंगल के पास कच्चा मकान होने से बारिश के दिनों में सांप घर में आ जाते थे काटने वाले चीटे बहुत अधिक मात्रा में घर में निकलते थे, तेज बारिश होती थी तो रात भर सो नहीं पाते थे घर में पानी टपकता था जंगल होने से बडे जानवर आने का भी हमेशा डर बना रहता था । लडके बडे हो गये थे किन्तु लडकी देने वाले भी कच्चा झोपडा देखकर आते थे व चले जाते थे । आज पक्का मकान बन जाने एवं उसमें टायलेट बनने के बाद लड़के की शादी भी पक्की हो गई है। अप्रैल में शादी है बारिश में भी अब दिक्कत नहीं होती रात को आराम से सो पाते है पुरा परिवार खुश है सबके लिये 2022 तक आवास शासन की इस महत्वकांक्षी योजना से हमारा सपना साकार हुआ नही तो हम जैसे गरीब लोग पक्का मकान का सपना लेकर ही शायद इस दुनिया से चले जाते हम परिवार के सभी लोग प्रधानमंत्री जी की इस योजना के लिये उनका धन्यवाद करते हैं ।

श्रीमती उर्मिला पंवार
संकाय सदस्य

आर्थिक उन्नति की राह पर कपिल धारा

श्री हजारीलाल पिता शंकरलाल अ.ज.जा. ग्राम कवटीयाझीरी ग्राम पंचायत यशवन्त नगर के होकर इन्हें मनरेगा योजना अन्तर्गत कपिल धारा कूप वर्ष 2016–17 में स्वीकृत होकर इन्हें कूप निर्धाण हेतू 2.40 लाख की राशि शासन द्वारा प्राप्त हुई हितग्राही का बडा परिवार होकर कुल 15 सदस्य है इनके पास 2. 50 बीघा जमीन है किन्तु कपील धारा स्वीकृति के पूर्व खेतों में पीयत नहीं हो पाती थी तथा जिससे केवल एक खरीब कि फसल ही हो पाती थी तथा परिवार भरण पोषण करने हेतू मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पाल रहे थे किन्तु शासन कि अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना कपील धारा से लाभ प्राप्त होने के पश्चात आज हितग्राही द्वारा तीन फसल ली जाने लगी है

जिससे परिवार कि आर्थिक स्थीति में सुधार होकर परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है । हितग्राही द्वारा इस वर्ष आलु के 150 कट्टे की पैदावार ली गई शासन कि इस योजना से हितग्राही हजारीलाल अत्यन्त ही खुश होकर शासन के प्रति अतीकृतज्ञ है।

प्रकाश पुरकर
संकाय सदस्य

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन से सच हुआ सपना

रमेश पिता देवचन्द जाति भील ग्राम कवटियाझिरी जनपद पंचायत महू के होकर इन्हें वर्ष 2016–17 में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैक मानपुर से 1.00 लाख रू. प्राप्त हुवे जिसमे अनुदान राशि 50000/– बैंक ऋण तथा स्वयं का अंशदान 20000/– है। आज उनका पक्का मकान है इनके परिवार में कुल 8 सदस्य है जिसमें कमाने वाले मात्र 2 सदस्य है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास स्वीकृति के पूर्व इनका परिवार कच्चे मकान में निवास करता था योजना का लाभ मिलने के पूर्व परिवार को ठण्ड एव बारीश में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता था । पानी भी टपकना था जिससे परिवार रात–रात भर सो नहीं पाता था एवं घर का सामान गीला हो जाता था । कच्चा मकान होने से पुत्र कि शादी भी नहीं हो पा रही थी लड़की वाले घर देखकर ही वापस चले जाते थे पक्का मकान होने से इनके पुत्र रमेश की 20 मार्च को शादी तय हो गई है पक्का मकान होने से बारीश व ठण्ड में दिक्कतो का सामना नहीं करना पडता है परिवार के सदस्य आराम से सो पाते है योजना का लाभ मिलने से पूरा परिवार खुश होकर खुशहाली जीवन व्यतीत कर रहा है।

तल्लीन बड़जात्या
संकाय सदस्य

नारी व बच्चे सशक्त तो राष्ट्र समृद्ध

महिलाओं के सम्मान हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्तमान में उज्जवला योजना की शुरूआत की जिसके तहत सभी निर्धन घरों को गैस कनेक्शन दिया जा रहा है।

केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रताप ने कहा पूरे देश में उज्जवला योजना के तहत 8 करोड़ गैस सिलिंडर देने का लक्ष्य है अभी तक 5 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है।

अभी तक विकास में सड़कें मुख्य मार्ग तक आवास एवं शुष्क शौचालय पर विशेष अभियान के तहत ग्रामीण जनों को इसका लाभ पहुंचाया गया।

किन्तु महिलाओं के लिए उनके भोजन पकाने के वास्ते जो उन्हें लकड़ी के ईंधन का उपयोग करना पडता था जिससे वृक्ष की कटाई के साथ पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ता था तथा आग के धुयें से आखों पर विपरीत प्रभाव पडता था। तथा स्वांस आदि बीमारियों का खतरा बनता था।

इसी तरह बच्चों के स्वास्थ पर भी धुयें से होने वाली विभिन्न बीमारियां बचपन से ही उनके भारीर में घर बना लेती थीं। आज इस उज्जवला योजना के सफल क्रियान्वन से आज महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ में बेहतर अन्तर देखा जा सकता है।

वही दूसरी ओर भोजन की गुणवत्ता के साथ साथ साफ सफाई एवं समय का सही सदुपयोग से परिवार का रहन सहन ऊपर उठता है। जो कि अन्य ग्रामीण जनों के लिए प्रेरणादायी बनेगा।

वाकई में महिलाओं और बच्चों की गरिमा एवं सम्मान के लिए उज्जवला योजना गांव गांव में लोगों के कल्याण में एक अच्छी अनूठी योजना साबित हो रही है।

आर.पी. खरे
संकाय सदस्य

संस्थान में ''जेन्डर'' विषय पर प्रशिक्षण का आयोजन

संस्थान में दिनांक 28–29 जून 2018 को सभी संकाय सदस्यों के लिए जेन्डर प्रशिक्षण रखा गया, जिसमें संस्थान एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों के 42 संकाय सदस्यों ने भाग लिया। संस्थान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है, आदर्श रूप में ग्रामीण विकास के हर विषय में जेन्डर की समझ का समावेश होना आवश्यक है, जिससे कि समाज के वर्गो में समानता एवं वंचित वर्गो को मुख्य धारा से जोड़ने की अभिवृत्ति और सोच को वर्तमान में चल रही योजनाओं में स्थान मिले एवं योजनाओं के परिणाम स्वरूप एक समान समाज का विकास हो। संचालक, महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर एवं यूएनवूमेन, दिल्ली की प्रतिनिधि श्रीमती वीना माहोर एवं संस्थान के संकाय सदस्यों की Brainstroming से जेन्डर विषय पर दो दिन के प्रशिक्षण का ढॉचा तैयार हुआ।

प्रशिक्षण देने हेतु आनंदी संस्थान, गुजरात से श्रीमती शेजल डांड एवं जागोरी संस्थान, दिल्ली से श्रीमती सुनीता धार को आमंत्रित किया गया था। दोनो ही अतिथि वक्ता राष्ट्रीय स्तर से जुड़े हुये है एवं उनकी ''जेन्डर'' विषय पर गहरी समझ है।

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य जेन्डर की समझ को बढ़ाना तथा प्रशिक्षार्थी अपने सामाजिक व्यवस्था में

जेन्डर की समझ का उपयोग कर एक समान समाज का निर्माण कर सके एवं अन्य प्रशिक्षण में जेन्डर की समझ का आदान–प्रदान करें। इससे वंचित वर्गो को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु एक समर्थ वातावरण तैयार करने की दिशा मिलेगी।

प्रशिक्षण के दौरान जेन्डर की व्याख्या एवं विचार की समझ, जेन्डर के दृष्टिकोण से क्षेत्रीय विश्लेषण, मध्यप्रदेश के संदर्भ में जेन्डर अन्तर (Gap), पितृ सत्ता से बनी असमानता की समझ, Gender mainstreaming (मुख्य धारा), महिला सशक्तिकरण, जेन्डर के दृष्टिकोण से बदलाव की प्रक्रिया, नेतृत्व, पंचायतों के नागरिक/चुने हुये सदस्यों के अधिकार एवं जेन्डर प्रशिक्षण का ढॉचा तैयार करने की समझ जैसे विषय पर प्रशिक्षण दिया गया।

दो दिवसीय प्रशिक्षण के अंत में सभी संकाय सदस्यों ने व्यक्त किया कि जेन्डर की समझ को अमल में लाने से एक समान समाज बनाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।

वीना माहोर,
जेण्डर रिस्पांसिव गर्वनेंस
यूएन वूमेन